भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2606
उत्तर देने की तारीख 09.03.2026

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

2606. डॉ. आलोक कुमार सुमनः
श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन, कलाकारों को सहायता, सांस्कृतिक केंद्रों और पर्यटन से जुड़े पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के खजुराहो कस्बे के कलाकारों, कारीगरों और सांस्कृतिक संस्थानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान, छात्रवृत्ति या संस्थागत सहायता प्राप्त हुई है;
(ग) लाभार्थियों की संख्या, जारी की गई धनराशि और प्राप्त आय या रोजगार परिणामों का ब्यौरा क्या है;
(घ) कवरेज या प्रभाव के सीमित रहने की दशा में इसके कारण और इन पर उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं; और
(ङ) क्या सरकार की उक्त जिलों में सतत आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक योजनाओं को पर्यटन परिपथों, शिल्प बाजारों और प्रदर्शन स्थलों के साथ एकीकृत करने की योजना है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय विभिन्न संस्थानों, समूहों, व्यक्तियों, पहचान की गई गैर-एमओसी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधार्थियों और विद्वानों को पुनःसुदृढ़ करने और पुनःसशक्त बनाने के उद्देश्य से "भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा हेतु स्कीम" नामक स्कीम कार्यान्वित करता है ताकि उन्हें भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को व्यापक मान्यता देने, प्रसार, संरक्षण करने हेतु

कार्यकलापों/परियोजनाओं में शामिल किया जा सके और भारत की समृद्ध, विविधतापूर्ण और वृहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन किया जा सके।

कलाकारों, सांस्कृतिक केन्द्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) नामक एक समावेशी स्कीम भी कार्यान्वित की जाती है। निम्नलिखित उप-स्कीमों के अंतर्गत सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

i. गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन (रेपर्टरी अनुदान) के लिए वित्तीय सहायता
ii. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम
iii. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति की स्कीम
iv. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता
v. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता
vi. सेवा भोज योजना

(ख) और (ग): 'सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की स्कीम' का उद्देश्य संगीत, नृत्य और नाटक जैसी मंच कलाओं के संवर्धन में कार्यरत चुनिंदा सांस्कृतिक संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में विभिन्न स्कीमों में प्रदान किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा अनुलग्नक पर संलग्न है।

(घ): लागू नहीं।

(ड.) : जी, नहीं।

अनुलग्नक

'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 09 मार्च, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मध्य प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन (रेपर्टरी अनुदान) के लिए वित्तीय सहायता	73	525.4	106	687.19	69	654.78
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	1	0.59	0	0.00	0	0.00
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	141	264.9	161	155.17	100	202.89
4.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	6	3.86	7	6.95	13	14.95
